भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1582

दिनांक 20 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

'ब्लाक-चेन' आधारित प्रौद्योगिकी

1582. श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री कुरुवा गोरांतला माधवः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में भू-अभिलेखों को सुचारू बनाने के लिए 'ब्लॉक-चेन' आधारित प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भू-अभिलेख के क्षेत्र में आज तक किन-किन राज्य सरकारों ने 'ब्लॉक-चेन' आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाया है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): भूमि संसाधन विभाग मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण एनआईसी द्वारा तैयार, परिचालित और अनुरक्षित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा किया जा रहा है। अब तक की स्थिति के अनुसार, विभाग में अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए ब्लॉक-चेन आधारित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

****